[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India Ministry of Corporate Affairs Notification

| New Delhi, the | 75 | August, | 2018 |
|----------------|----|---------|------|
|----------------|----|---------|------|

S.O. _____(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the ______ day of August, 2018 as the date on which the provisions of section 10 of the said Act shall come into force.

[File No. 1 /21 /2013-CL-V]

(K.V.R. Murty)

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 🕇 अगस्त, 2018

का.आ.(अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए] अगस्त, 2018 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फाइल संख्या 1/21/2013-सीएल-V]

के. वी. आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार